श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2018 को इटाढ़ी प्रखण्ड में जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 12.05.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों, मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, इटाढी प्रखण्ड, इटाढ़ी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय अन्य पदाधिकारी, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे। समीक्षा टिप्पणी निम्नवत् है–

(1) बैठक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि उनके क्षेत्र में किसी योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कोई जानकारी की आवश्यकता हो अथवा किसी प्रकार की समस्या हो तो अवगत करायें। इस क्रम में जन प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नवत् समस्याओं से अवगत कराया गया–

(i) ग्राम पंचायत इटाढ़ी के वार्ड संख्या–6 में शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि जी0ओ0 टैगिंग भी हो चुका है।

(ii) मनरेगा के अन्तर्गत पंचायत समिति के स्तर से योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जा रहा है।

(iii) वार्ड सदस्यों को पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में नहीं समझाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में वार्ड को कितना राशि प्राप्त हुआ है तथा कितना राशि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में स्थानांतरित किया गया, इसे स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। कई बार किसी विशेष वार्ड सदस्यों के खाते में सम्पूर्ण राशि दे दी जा रही है तथा प्राथमिकता क्रम के सदस्यों को राशि नहीं दी जा रही है।

(iv) ग्राम पंचायत अतरौना में विद्युतीकरण नहीं होने के कारण नल का जल योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। विद्युतीकरण हेतु पोल लगाने हेतु गढ़्ढ़ा बहुत पहले खोदा गया था, परन्तु अब तक इसमें पोल तार नहीं लगाया हैं गढ़्ढे में बच्चे गिर जा रहे हैं।

(v) लोक स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पकड़ी एवं रामपुर ग्राम को नल का जल योजना का कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किया जाय।

(vi) बड़का गॉव में चापाकल खराब है, जलापूर्त्ति नहीं हो रहा है।

(vii) इटाढ़ी के वार्ड 13 में नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। 243 बच्चे नामांकित है, परन्तु 40–50 बच्चे ही आते है। शिक्षक 8.00 बजे के बाद आते है।

(viii) इन्दौर पंचायत के उपमुखिया के द्वारा बताया गया कि नल का जल योजना के कार्यान्वयन हेतु मुखिया के द्वारा 60 प्रतिशत राशि दी गयी है। उस राशि से अधिक राशि का कार्य कराया गया है, परन्तु मुखिया द्वारा अगली किस्त नहीं दी जा रही है।

(ix) कुकुढ़ा पंचायत के चिलबिला में मीनी जलापूर्त्ति योजना चालू नहीं है। इसे चालू कराया जाय। इसी तरह चिलहर पंचायत के चिलबिली ग्राम में पम्प चालू कराया जाय।

(x) पंचायत समिति सदस्य, बसुधर द्वारा बताया गया कि पेंशन भुगतान में समस्या है। शिकायत करने पर प्रखण्ड स्तर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय में 350 छात्र नामांकित है, परन्तु इसमें मात्र 02 शिक्षक एवं एक शिक्षिका कार्यरत है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाय।

(xi) उच्च विद्यालय, इटाढ़ी में अतरौना पंचायत के बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया जा रहा है कि यह ग्राम पोषक क्षेत्र में नहीं है। जबकि यह ग्राम इस विद्यालय के कुछ ही दूरी है तथा पूर्व से ही अतरौना ग्राम के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते आ रहे है। अतः अतरौना के बच्चों का नामांकन उच्च विद्यालय, इटाढ़ी में कराया जाय क्योंकि अतरौना पंचायत के ग्राम भीतिहरा में नव सृजित उच्च विद्यालय है जो अतरौना ग्राम से 4.00 किलोमीटर दूरी है तथा उक्त विद्यालय भवनहीन भी है, जिसके कारण वहाँ भी नामांकन नहीं हो रहा है।

(xii) ग्राम पंचायत कुकुढ़ा के वार्ड संख्या–2 में पाईप टूटे रहने के कारण कीचड़ रहता है, जिसके कारण आने–जाने वाले लोगों को परेशानी होती है।

(xiii) इंदौर के वार्ड संख्या 4 के सदस्या के द्वारा बताया गया कि किरोसिन तेल नहीं मिलता है तथा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

(xiv) बसांवकलां पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि लगभग 100 परिवारों का नाम SECC डाटा में सम्मिलित नहीं, जिसके कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

(xv) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तथा समय से नहीं खुलता है। बच्चों को पोषाहार एवं अण्डा भी नहीं मिल रहा है।

(xvi) बड़का ग्राम पंचायत के बेचन के टोला में जाने के लिए पथ नहीं है तथा दो किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है।

(xvii) बिक्रम इंगलीश पंचायत में शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। वार्ड नं0–10 आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है।

(xviii) बसुधर में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध है अतः उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय।

उपर्युक्त के समस्याओं के समाधान के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में पदाधिकारियों के द्वारा निम्नवत् वस्तुस्थिति स्पष्ट किया गया एवं इस क्रम में आवश्यक निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिये गये–

(i) कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि रामपुर एवं पकड़ी ग्राम में नल की जल योजना हेतु सर्वे कार्य चल रहा है। कुकुढ़ा के चिलबिला में जलापूर्त्ति योजना चालू है। चिलहर पंचायत में बोरिंग हो चुका है, परन्तु योजना क्षेत्र के भूमि पर न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसके कारण कार्य बंद है। कनीय अभियंता को निदेशित किया गया कि इटाढ़ी प्रखण्ड के बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति करायें। उन्हें निदेशित किया किया गया कि अपना मोबाईल संख्या जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायें ताकि यदि कहीं चापाकल खराब हो तो कनीय अभियंता को सूचित कर तत्काल उसकी मरम्मति कराई जा सके। कनीय अभियंता को निदेशित किया गया कि कुकुढ़ा में टूटे हुए पाईप लाईन का शीघ्र मरम्मति करायेंगे।

(ii) कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना को निदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अतरौना में भ्रमण कर विद्युत परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें।

(iii) आंगनबाड़ी समय से नहीं खुलने के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है। औचक निरीक्षण कार्रवाई की जाएगी। पोषाहार वितरण में बताया गया कि पूर्व में पोषाहार का राशि प्राप्त नहीं होने के कारण वितरण नहीं हुआ था। राशि प्राप्त हो गई है तथा अब वितरण होगा। अण्डा के बारे में जानकारी दी गई कि हाल ही में इसकी के बारे में मार्गदर्शिका प्राप्त हुआ है। इसका वितरण किया जाएगा।

(iv) पेंशनधारियों के संबंध में बताया गया कि मार्च 2018 तक का पेंशन राशि पेंशनधारियों के खाते में चली गयी है। कुछ लोगों के आधार सीडिंग, बैंक खाता, नाम गलत होने एवं अन्य समस्याओं के कारण उनके खाते में राशि नहीं जा पाई है। इस संबंध में कैम्प लगाकर सुधार कराया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पंचायतवार कैम्प आयोजन सुनिश्चित करें।

(v) अतरौना ग्राम के छात्रों का इटाढ़ी उच्च विद्यालय के नामांकन एवं प्राथमिक विद्यालय, इटाढ़ी में पठन–पाठन नहीं होने तथा शिक्षकों के विलम्ब पहुँचने के संबंध जांच कर कार्रवाई करने हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, इटाढ़ी को निदेशित किया गया।

(vi) जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकों के पदस्थापन हेतु कार्रवाई करेंगे।

(vii) सिविल सर्जन को निदेशित किया जाता है कि बसुधर में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(viii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि बड़का ग्राम के टोला में जाने हेतु पथ निर्माण की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ix) बैठक में निदेशित गया कि जिस पंचायत में पंचायत भवन है, वहाँ पंचायत कार्यालय संचालित कराये। यदि मरम्मति की आवश्यकता हो तो उसकी मरम्मति करायें। पंचायत सरकार भवन इंदौर में निर्मित है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त भवन में पंचायत स्तरीय कार्यालयों का संचालन करायें।

(2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, इटाढ़ी प्रखण्ड के द्वारा बताया गया कि इटाढ़ी प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके लिए और अधिक प्रयास किया जाना है। पेंशनधारियों के समस्याओं के समाधन हेतु जिला पदाधिकारी का निदेश प्राप्त हुआ है तथा कैम्प आयोजित कर त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की नियुक्ति शीघ्र कर सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को चालू कराया जाएगा।

(3) उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि बक्सर स्वच्छता संग्राम के तहत जिले में कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में इटाढ़ी प्रखण्ड में भी बेहतर कार्य करना है। शौचालय निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई कि दो लिच पिट का शौचालय ही सबसे बेहतर होता है, जो कम पैसा में बनता है तथा अधिक समय तक चलता है। गढ्ढे में भरने वाला मल बाद में खाद बन जाता है, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी होता है। इसके लिए पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ–साथ जन प्रतिनिधियों का सहयोग भी अपेक्षित है। प्रखण्ड के खुले में शौच मुक्त हो जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रखण्ड के जनता को मिलेगा। अपील की गई कि घर की महिलाओं एवं बच्चियों के सम्मान के लिए अपने घरों में शौचालय बनायें तथा उसका उपयोग करें।

(4) बैठक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नांकित विषयों पर जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गयी तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये–

(i) बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि घर के महिलाओं के सम्मान के लिए घर में शौचालय बनाया जाना आवश्यक है। खुले में शौच जाने से होने वाले बीमारियों एवं महिलाओं एवं बच्चियों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए सभी को अपने घरों में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु अपील की गई। सभी जन प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि यदि उनके घरों में अब तक शौचालय नहीं बना हो तो उसे शीघ्र बनायें तथा उसका उपयोग करें।

बैठक में जानकारी दी गई वैसे वार्ड जिनमें 75 प्रतिशत घरों में शौचालय बन चुका है, उसमें जांचोपरान्त भुगतान की जाएगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राप्त आवेदनों की जांच कर प्रोत्साहन राशि भुगतान करें।

यह भी जानकारी दी गई कि पंचायत/प्रखण्ड के खुले में शौच मुक्त हो जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। गिला एवं सूखा कचरा प्रबंधन आदि की व्यवस्था भी की जानी है।

(ii) दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन की हेतु टास्क फोर्स की गठन की समीक्षा की गई। इस क्रम में बताया गया कि वार्ड, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन की टास्क

फोर्स की गठन कर साप्ताहिक आधार पर बैठक कर अनुश्रवण की जानी है तथा लोगों को जागरूक किया जाना है। दहेज एवं बाल विवाह जैसे कुरीति समाज के लिए अभिशाप है तथा इसे जागरूकता फैला कर समाप्त किया जाना है। लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 21 वर्ष के उम्र हो जाने के बाद ही की जानी है। यदि इससे कम उम्र में किसी लड़के/लड़की की शादी उनके परिजनों के द्वारा की जा रही है तो इस पर रोक लगाया जाना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि तीनों स्तर पर टास्क फोर्स की गठन करायें तथा अनुश्रवण हेतु बैठक आयोजित करायें। जन प्रतिनिधियों से अपील की गई कि दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में जागरूता फैलाने का कार्य करें तथा दहेज नहीं लेने तथा बाल विवाह नहीं करने के बारे में बतायें। यदि कोई परिवार ऐसा नहीं करता है तथा उसके बारे में बाल विवाह करने की जानकारी मिलती है अथवा दहेज लेने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इसे रोका जा सके। यह एक सामाजिक आन्दोलन है अतः इसमें सभी लोगों की भागीदारी से ही देहज प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।

(iii) बिहार स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई। इस क्रम में बताया गया कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋृण दी जा रही है तथा इसमें 4 प्रतिशत के दर से ब्याज ली जाएगी। यदि निर्धारित ससमय सीमा से कम समय में ली गई राशि वापस की जाती है तो 0.25 प्रतिशत की छूट है। अथात् 3.75 प्रतिशत ही छूट है। छात्राओं के लिए मात्र 01 प्रतिशत ही ब्याज देय है तथा उसे भी कम समय में राशि भुगतान करने पर 0.25 प्रतिशत की छूट मिलेगा। इस योजना के लाभ हेतु बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार शिक्षा वित्त निगम से उक्त ऋण राशि छात्रों की दी जाएगी।

(iv) मद्य निषेध के बारे में जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि यदि कोई शराब का सेवन करता है अथवा कहीं बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो उसके बारे में थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या सीधे अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें। आपके सूचना में तत्काल कार्रवाई की जाएगी एवं आपका नाम भी गोपनीय रहेगा। यदि आप चाहें तो इसकी सूचना विभाग के दूरभाष पर दे सकते है। मद्य निषेध के प्रति सभी लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(v) मनरेगा के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि मनरेगा अन्तर्गत पशुशेड जैसे व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अलावे जलसंरक्षण, तलाब एवं कुँआ निर्माण की योजनाओं का कार्यान्वयन करायें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-1604 गो0 दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/पंचायत के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर–सह–मेंटर, इटाढ़ी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।